

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 315] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 5, 1979/आश्विन 13, 1901
No. 315] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 5, 1979/ASVINA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 1979

सा. का. नि. 572(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड
अधिनियम, 1963 (1963 का 54) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड
(कारबार के संव्यवहार का विनियमन) नियम, 1964 में और संशोधन करने के
लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क (कार-
बार के संव्यवहार का विनियमन) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (कारबार के संव्यवहार का विनियमन) नियम, 1964 के नियम 3 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु अध्यक्ष की अनुपस्थिति की, वह चाहे उनके छुट्टी पर होने के कारण है या अन्यथा, अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।”

[सा. का. नि. फा. सं. 34/6/79-प्रशा. 1]

ए. एन. सरीन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 1979

G.S.R. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Board of Excise and Customs (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Board of Excise and Customs (Regulation of Transaction of Business) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Board of Excise and Customs (Regulation of Transaction of Business) Rules, 1964, to rule 3, the following proviso shall be added, namely :—

“Provided that during the period of absence of the Chairman, whether on leave or otherwise, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, authorise one of the Members to discharge the functions of the Chairman.”

[G.S.R. F. No. 34/6/79-Ad. I]

A. N. SAREEN, Under Secy.